न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

रण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
/2023	24.02.2023	30.01.2024

उनवान

श्रीमति मोहनी देवी पत्नी भेरूलाल जी जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

–प्रार्थीया

बनाम

श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी गणेशलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तह0 एवं जिला भीलवाडा ।

श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी सुखदेव जाति जाट आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तह0 एवं जिला भीलवाडा ।

श्री बालुलाल पिता खेमा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तह0 एवं जिला भीलवाडा ।

श्रीमति बाली देवी पत्नी नाथुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तह0 एवं जिला भीलवाडा ।

श्रीमति प्रियंका पत्नी अशोक कुमार जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।

श्रीमती पुष्पा पत्नी मुकेश जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

–विपक्षीगण

परिस्थतः–अधिवक्ता प्रार्थीया श्री मांगी लाल सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डपिया प0ह0 मुझरास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 96 की अभिलिखित आराजियात 155/2 कुल किता 01 कुल रकबा 1.5300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

यात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह त कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 05 के विरूद्ध दिनांक 13.06.2023 को एक तरफा ाही के आदेश दिये गये और अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 व 06 के समन बाद प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 गायत 05 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी क्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है र्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन । चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का ोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात हस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र र्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि जा मण्डपिया प0ह0 मुझरास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 96 की अभिलिखित आराजियात 155/2 ल किता 01 कुल रकबा 1.5300 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर नकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का गन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की ाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 क्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क कार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में ावश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार ीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा